बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-760

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक– 23/07/2018

विषय – ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कैमूर जिला के अधौरा पठार स्थित कुल 120 गावों के विद्युतीकरण के क्रम में 11 KV Distribution लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 46.74 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कैमूर जिला के अधौरा पठार स्थित कुल 120 गावों के विद्युतीकरण के क्रम में 11 KV Distribution लाईन के निर्माण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 46.74 हे० वन भूमि अपयोजन के लिये विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर (भभुआ) का प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से भाग–II एवं भाग–III में प्रविष्टि उपरान्त प्राप्त हुआ है। विषयाधीन 11 KV Distribution Line कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत निवास करने वाले ग्रामीणों को विद्युतिकरण सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। परियोजना निर्माण में 46.74 हे० वन भूमि अपयोजन की गणना हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1.75 मीटर ROW को आधार माना गया है जिसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक 204 दिनांक 10.07.2018 छायाप्रति संलग्न द्वारा दी गयी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2000 को आदेश पारित किया गया है कि 11 KV Distribution lines आश्रयणी अन्तर्गत ले जाने के लिये राज्य वन्यप्राणी पर्षद् एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी से सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रस्तावित Distribution lines निर्माण के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Distribution lines निर्माण के क्रम में मात्र वृक्षों के टहनियों की कटाई–छटाई किया जायेगा एवं आवश्यकता अनुसार Junction एवं turning वाले स्थलों पर वृक्षों का पातन सम्भावित है। लेकिन प्रयोक्ता एजेंसी ने Undertaking दिया है कि कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जायेगा।

अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं Geo-referenced नक्शा मौजावार Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.7 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है पूरे Distribution lines का निर्माण कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत होना है। Covered wire का प्रयोग, वन्यप्राणी प्रबंधन एवं इनके सुरक्षित आवागमन के दृष्टिकोण से आवश्यक है।

आश्रयणी क्षेत्र के अन्तर्गत पोल पर Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा ताकि वन्यप्राणी का सुरक्षित अधिवास सम्भव हो सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा अनुशंसा की गयी है कि अवैध रूप से वन भूमि में बसे लोगों को किसी भी प्रकार से इस परियोजना से नहीं जोड़ा जायेगा। क्योंकि अवैध रूप से बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 46.74 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट वन भूमि को चिन्हित (पंचमहुल रक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना निर्माण में आश्रयणी अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 46.74 हे० वन भूमि के लिये 8.87 लाख प्रति हे० **X 5** के दर से कुल रू० **20,72,91,900/– (बीस करोड़ बहत्तरह लाख इकानवें हजार नौ सौ) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।**
3. अपयोजित होने वाली वन भूमि 46.74 हे० के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के अधौरा प्रक्षेत्र अन्तर्गत 93.48 हे० अवकृष्ट वन भूमि, पंचमहुल पी० एफ० में चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्ष पातन प्रस्तावित नहीं है मात्र वृक्षों की छटाई की जायेगी।
5. आश्रयणी अन्तर्गत वन्यप्राणी के सुरक्षित अधिवास एवं आवागमन हेतु Distribution lines में Covered wire का प्रयोग प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्रयणी क्षेत्र के अन्तर्गत पोल पर Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा जिससे कि वन्यप्राणी के सुरक्षित अधिवास सम्भव हो सके।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),